

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 716]
[No. 716]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 27, 1995/पीष 6, 1917
NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 27, 1995/ PAUSA 6, 1917

कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 1995

का०आ० 1007(अ).—केन्द्रीय सरकार, वक्फ अधिनियम, 1995 (1995 का 43) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 जनवरी, 1996 को उस तारीख के रूप में, जिसको उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा, नियत करती है।

[सं० 1(15)/95-वक्फ]
एम० एस्० अहमद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 1995

S.O. 1007(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 1 of the Wakf Act, 1995 (43 of 1995), the Central Government hereby appoints the 1st day of January, 1996, as the date on which the said Act shall come into force.

[No. 1(15)/95-Wakf]
M. S. AHMAD, Jt. Secy.

3114 GI/95